



129

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर एट भोपाल म0प्र0।

निगरानी-4459/2018/भोपाल/भूर.प्र. प्र0कं0/निगरानी/2018

पार्वतीबाई पत्नि राजाराम आयु 53 वर्ष
जाति साहू व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम
सेमराकलां तहसील बैरसिया जिला भोपाल
म0प्र0 आवेदिका

अभुक्त कार्यालय
भोपाल से
190 भोपाल जैन्स
में प्रस्तुत।
K
25-6-18

विरुद्ध

- 1:- ज्योति बेबा सतीश कुमार आयु 45 वर्ष
 - 2:- अमन पुत्र सतीश आयु 25 वर्ष
- समस्त जाति नामदेव व कृषक ग्राम सेमराकलां
तहसील बैरसिया जिला भोपाल म0प्र0।

महल मुकाम :- बाल बिहार बैरसिया जिला भोपाल
म0प्र0 अनावेदकगण

श्री राज. रस. ब. 18/1
अविनाश 02/01/18
3/23/18
के. के. के.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू0रा0संहिता

श्रीमान्जी,
आवेदिका की ओर से, प्रकरण क्रमांक 66/अ12/2017
-2018 में संस्थित सीमाकन दिनांक 25/4/2018 द्वारा राजस्व
निगरानी वृत्त 3, बैरसिया जिला भोपाल से असंतुष्ट व दुखी होकर
निम्नलिखित तथ्यों व आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

- 1:- यह कि कृषि भूमियाँ खसरा क्रमांक 234, 239/1 क्षेत्रफल
लगभग 27-28 एकड़ स्थित ग्राम सेमराकलां तहसील बैरसिया -
जिला भोपाल म0प्र0 लगभग 30-32 वर्ष पूर्व बाबूलाल पुत्र कमोद
सिंह दांगी ग्राम सेमराकलां के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की -
भूमियाँ रही है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सेमराकलां द्वारा ग्राम -
सेमराकलां से ग्राम अर्वावती के लिए राहत कार्य रोड मिट्टी मुरम
तथा मिट्टी रोड दोनो भूमियों के मध्य से डलवाया गया था।

अभुक्त कार्यालय
भोपाल



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
शेर सिंह ठाकुर
वरिष्ठ अधिकारी

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4459/2018/भोपाल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-2-2019	<p>आवेदिका की ओर से कोई उपस्थित नहीं । तीन बार पुकार लगवाई गई, किन्तु आवेदिका अथवा उनके अभिभाषक अनुपस्थित । अतः प्रकरण आवेदिका की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p> <p> सीउर</p>	<p> अध्यक्ष</p>